रजिस्ट्री सं. डी(डीएन)-128/89 REGISTERED No. D-(DN)-128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 29, 1989 (वैशाख 9, 1911)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29, 1989 (VAISAKHA 9, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . .	371
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	505
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	561
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) । . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड-(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	333
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	407
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	465
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	51
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	371
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	405
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	561
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	333
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	407
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	465
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	51
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन तथा पेंशन भोगी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1989

संकल्प

सं० 41/5/89–पी०एण्ड पी० डब्ल्यू (सी)–दिनांक 10–2–1988 और 22-7-1988 के संकल्प संख्या 2-9-87–पी० एण्ड पी०डब्ल्यू०–(पी०आई०सी०) के अधीन गठित पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग की स्वैच्छिक एजेंसी स्थायी समिति (एस०सी०ओ०वी०ए०) के गैर सरकारी सदस्यों की एक वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति स्वैच्छिक एजेंसी स्थायी समिति (एस०सी०ओ०वी०ए०) का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करते है :—

1. अध्यक्ष अथवा महा–सचिव,
भारत पेंशनभोगी समाज,
नई दिल्ली।

2. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार,
पेंशनभोगी संघों की परिषद्,
नई दिल्ली।

3. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
मद्रास अखिल भारतीय पेंशनभोगी संघों,
का महासंघ, मद्रास।

4. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगी संगठनों
का महासंघ, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता।

5. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
अखिल भारतीय पेंशनभोगी संगठन,
जबलपुर।

6. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगी संघ,
सिकन्दराबाद।

7. ब्रिगेडियर राम सिंह (सेवानिवृत्त),
अध्यक्ष, भारतीय भूतपूर्व सेवा लीग,
नई दिल्ली।

8. श्री सुरजीत सिंह,
महासचिव,
राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति,
नई दिल्ली।

9. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
अखिल भारतीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी संघ,
भूसावल (महाराष्ट्र)

10. महासचिव,
आल इंडिया रिटायर्ड
रेलवे मेनज फेडरेशन,
भूसावल (महाराष्ट्र)

11. अध्यक्ष,
नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे पेंशनर्स,
पालघाट।

12. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
अखिल भारतीय डाकतार तथा
अन्य केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगी संघ,
अहमदाबाद।

पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग में अपर सचिव इस समिति के संयोजक तथा सदस्य होंगे।

2. गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि एक वर्ष की होगी।

3. स्वैच्छिक एजेंसी स्थायी समिति आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें आयोजित करेगी।

4. समिति निम्नलिखित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी :

(i) विभाग के कार्यक्रम कार्यान्वयन संबंधी फीडबैक की व्यवस्था करना,

(ii) नई नीति पहल पर विचार विमर्श तथा विवेचनात्मक जाच करना, तथा

(iii) सरकारी कार्य की पूर्ति के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न जुटाना।

5. समिति की बैठकों में हाजिर होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुपूरक नियम 190 के उपबंधों तथा समय-समय पर इसके अधीन जारी किए गए भारत सरकार के आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

6. संबंधित व्यय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाए।

ए० सी० तिवारी, अवर सचिव

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1989

संकल्प

सं० ए०सी० पैनल-87-खण्ड-III/200—संकल्प सं० ए०सी०/पैनल-87-खण्ड-III/402—दिनांक 19-4-88 के क्रम में भारत सरकार ने अब उपर्युक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन करने का निर्णय लिया है :—

संदर्भ	पदियां	के स्थान पर
क्रम सं० 1	श्री एन बिश्वास, उप महानिदेशक, तकनीकी विकास महानिदेशालय नई दिल्ली	श्री एम० एस० ग्रोवर, औद्योगिक सलाहकार त०वि०म०नि० उद्योग भवन, नई दिल्ली
क्रमसं० 6	श्री बी० एस० ठाक्कर, अध्यक्ष, मै० श्री दिग्विजय सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, पी०ओ० दिग्विजयनगर, अहमदाबाद—382470	श्री एम०आर० भण्डारी अध्यक्ष, मै० श्री दिग्विजय सीमेन्ट क०लि०, पी०ओ० दिग्विजयनगर, अहमदाबाद-382470
क्र०सं० 9	श्री एल०एल० खन्ना मण्डल प्रबन्धक एम०एम०टी०सी०,एक्सप्रैस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली—110002	श्री आर०के० आहूजा महाप्रबन्धक एम०एम०टी०सी०, एक्सप्रैस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली—110002

पैनल के विस्तृत आकार के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य होंगे :—

क्रम सं० 13
श्री जे० सेनगुप्ता
संयुक्त निदेशक,
राष्ट्रीय भवन संगठन
शहरी विकास मंत्रालय
"जी" खण्ड, निर्माण भवन,
नई दिल्ली।

क्र० सं० 19 श्री आर० एन० बोहीदार,
निदेशक,
उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक विकास विभाग,
उद्योग भवन, नई दिल्ली।

क्रम सं० 20 श्री अभिलाभ तयाल
महाप्रबन्धक,
मै० यू० पी० एसबेस्टोस लि०,
महमूदाबाद एस्टेट बिल्डिंग,
हजरतगंज,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

क्रम सं० 21 डा०एच०एन० गुप्ता
डी०जी०एफ०ए०एस०एल०आई,
सेन्ट्रल लेबर इन्स्टीच्यूट बिल्डिंग,
एन०एस० मानकीकार मार्ग, सियान,
बम्बई।

क्रम सं० 22 डा०एस० के डावे,
सहायक निदेशक
नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ आक्यूपेशनल, हैल्थ
मेघानी नगर, अहमदाबाद

क्रमसं० 23 औद्योगिक टॉक्सीलोजी के प्रतिनिधि
अनुसंधान केन्द्र,
महात्मा गांधी मार्ग,
पी०बी० सं० 80
लखनऊ

ऊपर दर्शाए गए के अलावा, पैनल का बाकी संगठन, दिनांक 19-4-88 के संकल्प वाला ही रहेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित की जाए।

मदन मोहन, निदेशक (प्रशासन)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम और खेल विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 1989

राष्ट्रीय युवा नीति पर संकल्प

सं० एफ० 3-1/88-वाई०एस० IV—सभी युगों में युवा प्रगति और सामाजिक परिवर्तन में अग्रणी रहा है। आजादी के लिए लालायित, तीव्रता से प्रगति के लिए उत्सुक और नवीकरण के लिए उमंग तथा युवा आदर्शवाद और सृजनात्मक जोश से हमारी मातृभूमि की आजादी के संग्राम में आगे था। यदि इस शताब्दी के पूर्वार्ध में हजारों युवा राष्ट्रपिता के आवाहन से प्रेरित था तो आज का युवा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सहित प्रौद्योगिकीय प्रगति की चुनौती का सामना कर रहा है।

2. भारत का युवा जो हमारी जनसंख्या का एक तिहाई है, एक विशाल और महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। उनका, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्र के भाग्य को बदलने में जो वास्तव में उनका अपना भाग्य है, सक्रिय रूप से भाग लेने में अधिकार और दायित्व है। ऐसे देश में उनकी समस्याएं कई है, विभिन्न प्रकार की हैं और उनकी आकांक्षाएं ऊंची हैं जिसका भूतकाल महान था और भविष्य के लिए वचनबद्धता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उनके लिए उनके व्यक्तित्व का विकास करने और उनकी कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जाएं ताकि उन्हें आर्थिक तौर पर उत्पादी तथा सामाजिक तौर पर लाभप्रद बनाया जा सके।

3. ऐसे सुअवसर बड़े स्तर पर पैदा करने पड़ेंगे ताकि मानव प्रयत्नों के बड़े क्षेत्र को शामिल किया जा सके और समाज के सभी युवाओं को और विशेषकर लाभ वंचित युवाओं को उपलब्ध कराने पड़ेंगे। सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए, ताकि युवा उत्पादक, आत्मविश्वासी और राष्ट्रीय विकास के लिए वचनबद्ध शक्ति बन सके। इस कार्यक्रमों को युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं उत्पन्न करनी चाहिए और सभी क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्टता के लिए उनके प्रयासों में सहायता मिलनी चाहिए।

4. इसमें एकीकरण और अंतर अनुशासन की आवश्यकता है और इस कार्य में दोनों सरकारी विभागों और संगठनों और सरकार से बाहर के क्षेत्रों जैसे परिवार, शिक्षक, नेता, स्वैच्छिक एजेंसियों और युवा संगठनों को शामिल करना है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त सहायक मैकेनिज्म प्रदान करना है।

5. अतः युवाओं को पर्याप्त रूप में अपना दायित्व निभाने के लिए उन्हें सुसज्जित करते हुए राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि देश के जीवन और प्रगति में से युवाओं को अपना हिस्सा मिलने में सहायता दी जाए। यह आसान कार्य नहीं है, परन्तु यह आवश्यक कार्य है, जिसमें न केवल सरकार बल्कि व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों सहित सम्पूर्ण राष्ट्र को सृजनात्मक उद्यम की भावना में एक साथ लाना है, जैसा कि राष्ट्रीय युवा नीति में परिकल्पित है।

6 लक्ष्य : नीति निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होगी ;

6.1 युवाओं में हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों और मूल्यों के लिए जागरूकता और सम्मान पैदा करना है तथा उनमें राष्ट्रीय एकीकरण, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रति वचनबद्धता से विधि नियमों के प्रति अधिक इच्छा पैदा करनी है।

6.2 युवाओं में हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता पैदा करनी है और उनमें पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान की समृद्धि सहित उनके संरक्षण के लिए वचनबद्धता के साथ स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा करनी है।

6.3 युवाओं में अनुशासन, आत्म-सम्मान, न्याय और ईमानदारी, सार्वजनिक हित के लिए चिन्ता, खेल भावना और उसके अलावा उनमें विचारधारा और कार्य में वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करने में सहायता दी जाए ताकि वे अन्य बातों के साथ-साथ रूढ़िवाद, अन्धविश्वास तथा अनेक सामाजिक कुरीतियां जिन्होंने राष्ट्र को घेर रखा है, को मिटा सकें।

6.4 युवाओं को ऐसी अधिक से अधिक शिक्षा सुलभ करानी चाहिए जिससे वे अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित कर सकें, उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकें और बेकारी हटाने के लक्ष्य की ओर रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर ले सकें।

6.5 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति युवाओं को जागरूक करने तथा उन्हें विश्व शान्ति, सूझबूझ बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में शामिल करना।

7. कार्य योजना

राष्ट्रीय युवा नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य योजना होगी :-

7.1 राष्ट्रीय एकीकरण की भावना, सांस्कृतिक एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता में विश्वास के साथ भारतीय संविधान के प्रति ज्ञान और आदर बढ़ाने पर लक्षित कार्यक्रम सभी युवा कार्यकलापों का मुख्य भाग बनेंगे।

7.2 हमारे इतिहास, स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रीय विकास, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां तथा सामाजिक आर्थिक बाधाओं पर नियंत्रण करने और शीघ्र प्रगति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम, हमारी सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक शक्ति के महत्व को कम किए बिना, कार्यान्वित किए जाएंगे।

7.3 अन्तर-भारती कार्यक्रम में भाग लेने के जरिए क्षेत्रीयवाद, साम्प्रदायिकता, भाषायी अन्धविश्वास और अन्य विभाजक तथा अवांछनीय मान्यताओं को समाप्त करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु देश के विभिन्न भागों के युवाओं के बीच सम्बन्धों को बढ़ाने, गतिशीलता देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

7.4 बड़े पैमाने पर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के सार्थक कार्यक्रम शुरू किए जाएं ताकि हमारे समाज के लाभवंचित वर्गों पर विशेष बल देते हुए शिक्षा के लाभ सभी युवा पुरुषों और महिलाओं और गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं तक पहुंच सकें।

7.5 स्व रोजगार के लिए युवाओं को अपेक्षित हुनर देने, उनके व्यावसायिक सुधार और उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें श्रम की गरिमा से अवगत कराने पर लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

7.6 व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के जरिए नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करने तथा स्वैच्छिक सामाजिक और सामुदायिक सेवा के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

7.7 योग, देशी खेल और आधुनिक खेलों में बड़े पैमाने पर भाग लेने के जरिए शारीरिक उपयुक्तता को बढ़ाने के साथ-साथ खतरा लेने की भावना, मिलजुल कर कार्य करना तथा सहनशीलता की भावना को बढ़ाने के साहसिक कार्यकलापों को सभी युवा कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा।

7.8 युवा माता-पिता, विशेषकर, विभिन्न सामाजिक बुराइयों, हानिप्रद आदतों तथा अंधविश्वास के खिलाफ आन्दोलन में सम्मिलित होकर और लघु परिवार तथा उपयुक्त परिवार कल्याण उपायों को अपनाकर सामाजिक परिवर्तन में उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका अदा करके अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे।

7.9 अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ बढ़ाने और विश्वशान्ति को सुदृढ़ करने के लिए विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की हमारी महान परम्परा के प्रति ईमानदार होने, भारतीय युवा और विश्व भर के उनके साथियों के साथ निकट सम्पर्क बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा।

7.10 युवा व्यक्तियों और स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्य को पुरस्कार, छात्रवृत्ति तथा उसी प्रकार की पद्धति के जरिए पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें मान्यता दी जाएगी।

8. कार्यान्वयन : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, राष्ट्रीय युवा नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार में एक मुख्य एजेंसी होगी और इसके जरिए अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी।

9. विभिन्न स्तरों/वर्गों की आकांक्षाओं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उल्लिखित लक्ष्यों के सम्बन्ध में खर्चों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव के मूल्यांकन करने के लिए नीति के कार्यान्वयन का सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तौर पर देखरेख और मूल्यांकन किया जाएगा। चल रही पद्धति के आधार पर और बीच बीच में अपेक्षित सुधार को ध्यान में रखकर देख-रेख और मूल्यांकन किया जाएगा।

10. गैर सरकारी, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा अधिक से अधिक भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा, और वस्तुतः राष्ट्रीय, विकास के विशेष क्षेत्रों में युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। वित्तीय तथा संगठनात्मक सहायता के जरिए युवा संगठनों के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

11. समन्वय: युवा कार्यक्रम का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग यह है कि ग्रामीण और शहरी, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी को समाप्त किया जाए। यह केन्द्रीय और राज्य के सभी सरकारी विभाग तथा गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा युवाओं के लिए किए गए सभी कार्यक्रमों को दर्शाएगा। यह परस्पर परामर्श और समन्वय तथा मित्रता से कार्य कर रही सभी इन एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग प्रत्येक एजेंसी की स्वतंत्र संचालन पहलुओं को व्यवस्थित रखते हुए, समन्वय की प्रक्रिया के लिए आंकड़े, सूचना और विचारों के आदान प्रदान के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए सभी प्रयास करेगा।

12. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और स्वैच्छिक एजेंसियां, राष्ट्रीय युवा नीति के कार्यान्वयन में निकट समन्वय के रूप में कार्य करेंगी। राज्य और केन्द्रीय सुविधाओं के अधिकतम प्रयोग के लिए और नीति में परिकल्पित कार्यकलापों के सभी पहलुओं में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर विस्तृत अभियान शुरू करेंगे और इन उद्देश्यों के लिए प्रभावी, अनुकूल और उत्तरदायी मशीनरी तैयार करेंगे।

13. राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम समिति (सी०ओ०एन०वाई०पी०) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को राष्ट्रीय युवा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में अपने कर्तव्य निभाने में सलाह देने के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों और राष्ट्रीय युवा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ स्थापित की जायेगी।

14. यह एक महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय युवा नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के वर्ष में शुरू की जा रही है। नीति के कार्यान्वयन में राष्ट्र और सरकार, पंडित नेहरू, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान युवाओं को इकट्ठा किया था, अपितु आप ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत में युवाओं के उत्थान के प्रतीक बने थे, के दर्शन और विचारों द्वारा प्रेरित और मार्गदर्शित होंगे। उनकी विश्व इतिहास और उनकी आधुनिक, इस महान देश की परम्पराओं और पैतृक सम्पत्ति की परिस्थिति में कार्य कर रहे वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लिए पंडित नेहरू बड़े मानववादी थे, जिन्होंने समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र की विचारधाराओं के लिए प्रयास किया। भारत के संविधान में निहित ये मूलभूत सिद्धान्त और आदर्श इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही के सभी कार्यक्रमों को अवगत करेंगे ताकि भारत के युवा नए और गतिशील भारत के निर्माण में अपने कौशल, ज्ञान, शक्ति, उपयुक्त तकनीकी और विज्ञान के परिणामों को काम में लाने के आदर्शवाद, हमारी प्राचीन परम्पराओं पर दृढ़ विश्वास के आधार पर अपने विश्वास और भविष्य में विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाए और अधिसूचना को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डी० के० मणवालन, संयुक्त सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 1989

संकल्प

सं० 55029/1/88 सी०ए०—इस विभाग के दिनांक 23-8-1988 के संकल्प संख्या 55029/1/88 सी०ए० में आंशिक संशोधन करते हुए कोयला सलाहकार परिषद् को पुनर्गठित किया जाता है, जिसमें शीर्ष "गठन" की क्रम संख्या 47 के सामने डा० एस०जी० भट्टाचार्य, सी०आई०सी०पी० के स्थान पर डा० एम०चन्द्र शेखर, सी० आई०सी० पी० का नाम पढ़ा जाए।

एच० सी० गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE)

New Delhi, the 31st March 1989

RESOLUTION

No. 11/5/89-P&PW(C).—Consequent on the expiry of the one-year term of office prescribed for the non-official members of the Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA) for the Department of Pension and Pensioners' Welfare constituted under Resolutions No. 2/9/87-P&PW (PIC) dated the 10th February, 1988 and 22nd July, 1988, the President is pleased to reconstitute the SCOVA with the following composition :—

1. President or General Secretary,
   Bharat Pensioners' Samaj,
   New Delhi.
2. President or General Secretary,
   All India Central Committee of Pensioners' Associations,
   New Delhi.
3. President or General Secretary,
   All India Federation of Pensioners' Associations, Madras.
4. President or General Secretary,
   Federation of Central Government Pensioners' Organisations,
   Calcutta.
5. President or General Secretary,
   All India Organization of Pensioners,
   Jabalpur.
6. President or General Secretary,
   Central Government Pensioners Association,
   Secunderabad.
7. President or General Secretary,
   Indian Ex-Services League,
   New Delhi.
8. President or General Secretary,
   National Ex-Servicemen Co-ordination Committee,
   New Delhi.
9. President or General Secretary,
   All India Ex-Services Welfare Association,
   New Delhi.
10. President or General Secretary,
    All India Retired Railwaymen's Federation,
    Bhusaval.
11. President or General Secretary,
    National Federation of Railway Pensioners,
    Palghat.
12. President or General Secretary,
    P&T & Other Central Government Pensioners' Association,
    Ahmedabad.

The Additional Secretary in the Department of Pension and Pensioners' Welfare will function as the Convenor and Member Secretary of this Committee.

2. The term of office of the non-official members will be for a period of one year.

3. The SCOVA will hold its meetings as often as may be necessary.

4. The SCOVA shall function to promote the following objectives :—

(i) To provide a feedback on programme implementation of the Department;

(ii) To discuss and critically examine new policy initiatives; and

(iii) To mobilise voluntary effort to supplement the Government action.

5. Travelling allowance and daily allowance to the non-official members for attending the meetings of the SCOVA shall be regulated in accordance with the provisions of SR-190 and orders of the Government of India thereunder as issued from time to time.

6. The expenditure involved will be met from within the ...ctioned budget grant of the Ministry of Personnel, Public ...ievances and Pensions.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette ... India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Administrations of Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India and all others concerned.

A. C. TIWARI, Addl. Secy.

(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 4th April 1989

RESOLUTION

No. AC/Panel/87/Vol. III/200.—In continuation of Resolution No. AC/Panel/87/Vol. III/402, dated 19-4-88, ...vernment of India have now decided to amend the above Notification as under :—

	Read	*For*
S. No. 1	Shri N. Biswas, Deputy Director General DGTD, Udyog Bhavan, New Delhi.	Shri M. S. Grover, Industrial Adviser, DGTD, Udyog Bhavan, New Delhi.
S. No. 6	Shri B. S. Thakkar, President, M/s. Shree Digvijay Cement Co. Limited, P.O. Digvijayanagar, Ahmedabad-382-470.	Shri S. R. Bhandari, President, M/s. Shree Digvijay Cement Co. Limited, O. Digvijaynagar, Ahmedabad-382-470.
S. No. 9	Shri S. L. Khanna, Divisional Manager, MMTC, Express Building, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002.	Shri R. K. Ahuja, General Manager, MMTC, Express Building, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002.

...ollowing will be the additional members to broad-base the Panel :

S. No. 18
Shri J. Sengupta,
Joint Director,
National Building Organisation,
Ministry of Urban Development,
'G' Wing, Nirman Bhavan, New Delhi.

S. No. 19
Shri R. N. Bohidar,
Director,
Ministry of Industry,
Department of Industrial Development,
Udyog Bhavan, New Delhi.

S. No. 20
Shri Amitabh Tayal,
Managing Director,
M/s. U. P. Abestos Limited,
Mehmoodabad Estate Building,
Hazratganj, Lucknow (U.P.).

S. No. 21
Dr. H. N. Gupta,
DGFASLI,
Central Labour Institute Building,
N. S. Mankikar Marg, Sion, Bombay.

S. No. 22
Dr. S. K. Dave,
Assistant Director,
National Institute of Occupational Health,
Meghani Nagar, Ahmedabad.
Lucknow.

S. No. 23
Representative of Industrial Toxicology
Research Centre,
Mahatma Gandhi Marg, P.B. No. 80,
Lucknow.

Except for the panel indicated above, the rest of the composition of the Resolution dated 19-4-88 remains the same.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN
Director (Administration)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS)

New Delhi, the 3rd April 1989

RESOLUTION ON NATIONAL YOUTH POLICY

INTRODUCTION

No. F.3-1/88-YS.IV.—Youth, in all ages, has been in the vanguard of progress and social change. Thirst for freedom, impatience for quicker pace of progress and a passion for innovation, coupled with idealism and creative fervour, saw the youth in the forefront of the freedom struggle in our own land. If our youth was inspired by the call of the Father of the Nation in the first half of this century, the youth of today face the challenge of economic development and technological progress with social justice.

2. The youth of India, representing a third of our population, constitute a vital and vibrant human resource. They have a right as well as an obligation, to participate actively in national development and in shaping the DESTINY OF THE NATION which is, in point of fact, their own destiny. Their problems are many and varied and their aspirations naturally high, in a country with a great Past and greater promise for the future. The need, therefore, is to create increasing opportunities for them to develop their personality and their functional capability and thus make them economically productive and socially useful.

3. Such opportunities have to be created on a large scale, to cover a wide spectrum of areas of human endeavour; and they have to be made available to youth of all strata of society, particularly the disadvantaged. All national programme should be directed to enable the youth to become a

productive, self-confident and committed force for national development. These programmes must create adequate facilities for the all round development of Youth and assist in their striving for excellence in all fields.

4. This calls for an integral and inter disciplinary approach, involving both government departments and organisations and sectors outside the Government such as the family, educators, leaders, voluntary agencies and youth organisations. The Central and State Governments have to provide adequate mechanisms supportive of this process.

5. It behoves the NATION, therefore, to assist youth in getting their due share in the country's life and progress, while equipping them to meet their obligations adequately. It is not an easy task, but it is a necessary task, in which not only the Government but the whole nation, including individuals, institutions and organisations, have to be brought together in a spirit of creative enterprise, as envisaged in this NATIONAL YOUTH POLICY.

OBJECTIVES

6. The Policy shall be directed towards the achievement of the following OBJECTIVES :—

6.1 To instil in the youth a deep awareness of and respect for the principles and values enshrined in our Constitution and a willingness to further the rule of law, with an abiding commitment to national integration, non-violence, secularism and socialism;

6.2 To promote among the youth the awareness of our historical and cultural heritage and imbue them with a sense of pride and national identity, together with a deep commitment towards their preservation, as well as the enrichment of the environment and ecology;

6.3 To help develop in the youth qualities of discipline, self-reliance, justice and fair-play, a burning concern for public weal, sporting spirit and above all, a scientific temper in their modes of thinking and action which, *inter alia*, will enable them to combat superstition, obscurantism and the numerous social ills that beset the Nation;

6.4 To provide the youth with maximum access to education which, in addition to developing their alround personality, imparts appropriate professional and vocational training, with a view to enabling them to avail of employment and self-employment opportunities towards the aim of BEKARI HATAO; and

6.5 To make the youth aware of international issues and involve them in promoting world peace, understanding and a just international economic order.

PLAN OF ACTION

7. The following shall represent the PLAN OF ACTION for the implementation of the NATIONAL YOUTH POLICY :—

7.1 Programmes aimed at inculcating knowledge of and respect for the CONSTITUTION OF INDIA, together with a sense of national integrity, cultural unity, democratic values and faith in socialism and secularism will form the core of all youth activities.

7.2 Programmes seeking to create a thorough awareness of our history, freedom, struggle, national development, achievements of modern science and technology and their applicability in overcoming socio-economic constraints and achieving faster progress, without losing our cultural identity and spiritual strength, will be implemented.

7.3 Special efforts will be made to foster and develop contacts between youth from different parts of the country, with a view to inspire them to combat regionalism, communalism, linguistic chauvinism and other divisive and fissiparous tendencies, through participation in the programme of ANTAR BHARATI.

7.4 Meaningful programmes of mass education, formal and non-formal, will be undertaken, so that the benefits of education reach all young men and women, including non-student rural youth, with particular emphasis on the disadvantaged sections of our society.

7.5 Training programmes will be organised, aimed at i parting requisite skills to youth for self employment, i proving their employability and enhancing their productivi while making them appreciate the dignity of labour.

7.6 Programmes will be undertaken to offer opportunit to the youth for leadership training through personality de lopment and character building, and for motivating them voluntary social and community service.

7.7 Promotion of physical fitness through mass partici tion in yoga, indigenous games and modern sports will made an integral part of all youth programmes, togetl with adventure activities calculated to develop the spirit risk-taking, team work and endurance.

7.8 Young parents will be particularly sensitized to the responsibilities and their own role as catalysts of soci change, by being involved in movements against vario social ills, harmful practices and superstitions, and by adop ing the small family norm and appropriate family welfa measures.

7.9 True to our great tradition of viewing the world one family, programmes, enabling contacts and close lin between the youth of India and their counterparts all ov the world, will be expanded, to promote international unde standing and strengthen world peace.

7.10 Outstanding work done by young persons and volu tary agencies in various fields will be recognised and warded through a system of awards, scholarships and the lik

IMPLEMENTATION

8. The MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEV LOPMENT, Government of India, through the DEPAR MENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS, will be NODAL AGENCY in the Government of India for the i plementation of the NATIONAL YOUTH POLICY a providing such guidance and assistance as may be require

9. Systematic and scientific monitoring and evaluation the implementation of the Policy will be done, to provi insights into the needs, and aspirations of the youth at diff rent levels and to assess the impact of the programmes a the expenditure thereon in relation to stated objectiv Monitoring and evaluation would be built into the syste on an on-going basis and necessary mid-term correctio applied.

10. Maximum participation by non-governmental instit tions, public and private, will be encouraged, and in fa sought, in the mobilisation of youth in specific areas national development. Programmes of youth organisatio will be encouraged through financial and organisation support.

COORDINATION

11. The most important component of the youth pr gramme will be the removal of unemployment, both rur and urban, educated and non-educated. This shall inform programmes for youth undertaken by all departments Governments, Central and State, as well as non-Gover mental Agencies. This will be ensured by all these Agenci working in unison and mutual consultation and coordin tion. The DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS in t MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPM Government of India, will make all efforts to serve as clearing house of data, information and ideas germane process of coordination, while keeping intact the independe operational aspects of each of the Agencies.

12. The Central Government, State Governments a Voluntary Agencies will work in close coordination in t implementation of the NATIONAL YOUTH POLIC Detailed exercises at the local level will be initiated in ord to bring about maximum utilisation of the State and Centr facilities and to avoid duplication in all the spheres of activi that the POLICY contemplates, and to evolve effective, re ponsive and responsible mechanisms for these purposes.

13. A COMMITTEE FOR NATIONAL YOUTH PR GRAMMES (CONYP) will be set up, bringing togeth representatives of the concerned Ministries, Departments a National Youth Organisations, to advise the DEPARTM OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS in discharging duties in the effective implementation of the NATIONA YOUTH POLICY.

CONCLUSION

14. It is significant that the National Youth Policy is being launched in the year of the birth centenary of Pt. Jawaharlal Nehru. In the implementation of the policy, the nation and the Government will be guided and inspired by the philosophy and vision of Pt. Nehru, who was not only the rallying point of youth during the struggle for Independence but also the man who became a symbol of resurgent youth in Independent India. With his world view of history and his modern, scientific temper working in unison with the traditions and heritage of this great country, Pt. Nehru was a great humanist who strove for the ideals of socialism, secularism and democracy. These cardinal principles and ideals enshrined in the Constitution of India will inform all programmes of action for implementation of this Policy, enabling the youth of India to march forward, with confidence in themselves and faith in the future, basing their convictions on our ancient heritage but utilising their skills, knowledge, energies and idealism to harness the fruits of science and appropriate technology in building a new and vibrant India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all State Governments/Union Territories and that the Notification may be published in the Gazette of India for general information.

D. K. MANAVALAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 16th March 1989

RESOLUTION

No. 55029/1/88-CA.—In partial modification of this Department's resolution No. 55029/1/88-CA dated 23-8-88, reconstituting the Coal Advisory Council, under the heading "Composition" against Sl. No. 47—for "Dr. S. G. Bhattacharya, BICP" read "Dr. S. Chandrasekhar, BICP".

H. C. GUPTA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1989